कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

क्रमांक : P.A./2025/2 दिनांक : 24.07.2025

कार्यालय आदेश

इस न्यायक्षेत्र के समस्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर द्वारा S.B. Criminal Misc. Suspension of Sentence Application (Appeal) No. 1687/2024 Ibra@Ibran S/o Mamraj Vs. State of Rajasthan में पारित आदेश दिनाक 24.07.2025 के द्वारा कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहने को अवैध मानते हुए समस्त कर्मचारियों को दिनांक 25.07.2025 को प्रातः 10:00 बजे अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने का आदेश दिया गया है एवं कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में जिला न्यायाधीश को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने, स्थानान्तरण करने, आचरण नियमों के तहत आरोप–पत्र जारी करने, निलंबन व अन्य कार्यवाही करने एवं आदेशानुसार अन्य कार्यवाही करने हेतु आदेशित/अधिकृत किया गया है।

अतः इस न्यायक्षेत्र के समस्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में दिनांक 25.07.2025 को प्रातः 10:00 बजे आवश्यक रूप से अपने कर्तव्य पर संबंधित न्यायालय में उपस्थित होवें, अन्यथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

Sd/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
राजसमन्द

क्रमांक : P.A./2025/63 दिनांक : 24.07.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त पीठासीन अधिकारीगण, राजसमन्द न्यायक्षेत्र को प्रेषित कर लेख है कि अविलंब इस आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे एवं कर्मचारीगण को जरिये व्हॉट्सएप एवं अन्य उचित माध्यम से सूचित किया जाये।

2. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, राजसमन्द को प्रेषित कर निर्देश है कि अविलंब उक्त आदेश जिला न्यायालय, राजसमन्द की वेबसाइट पर अपलोड करें एवं जिला न्यायालय, राजसमन्द में पदस्थापित कर्मचारीगण को जरिए व्हाट्सएप सूचित करें।

3. श्री जसवंत सिंह राठौड़, अध्यक्ष, राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा राजसमन्द को मय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति सहित प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि समस्त कर्मचारीगण को इससे अवगत कराते हुए कर्मचारीगण को आदेशानुसार अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।

24/07/2025
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
राजसमन्द